प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉकः–जीओ–51 /सम्पेक्षा/म0आ0यो0/2010–11 दिनांक 11 फरवरी–2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–71/26–ब0प्र0–2010–01(बजट)/2010, दिनांक 02–02–2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 करोड़ (रूपये एक अरब मात्र) स्वीकृत कर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखी गयी है। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से रू0 8995.05 लाख (रूपये नवासी करोड़ पिन्चान्वे लाख पांच हजार मात्र) संलग्नक के कालम–3 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है।

1– आवंटित की जा रही धनराशि से अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों को शासन के निर्देशों के अनुरुप सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही लाभान्वित किया जायेगा तथा इस हेतु ग्राम्य विकास अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–177/38–9–10–13ब/2006, दिनांक 14–01–2010 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या 1604/वि0 कं0/म.आ.यो./10–11 दिनांक 19 मई 2010 के अनुसार लाभार्थियों की तैयार सूची उपयोग में लायी जायेगी।

2– उक्त आवंटित धनराशि के व्यय/उपयोग के लिए एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

3– जिन जनपदों द्वारा शासन के निर्देशों के अनुरुप शुद्ध–शुद्ध सूची नहीं प्रेषित की गयी है वह जनपद इसे तत्काल उपलब्ध करा दें ।

4–नवसृजित जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर में जनपद सुल्तानपुर से विकास खण्डों की प्राप्त सूची के अनुसार धनराशि का आवंटन किया जा रहा है।

5– आवंटित की जा रही इस धनराशि को अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

6– आवंटित की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय ।

7– महामाया आवास योजना में अवशेष धनराशि दैवी आपदा हेतु सुरक्षित है । अतः इस धनराशि हेतु समुचित प्रस्ताव लाभार्थियों की सूची सहित अविलम्ब उपलब्ध करा दी जाए ।

8– जिन जनपदों द्वारा उल्लिखित लाभार्थी संख्या से न्यूनाधिक सूची तैयार की गयी है वह इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध करा दें ।

9– आवंटन में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में

(2)

किसी प्रकार का विचलन होता है, तो सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

10– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–83 के अधीन लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–06–आवास योजना–27–सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।

11– आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12– उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या–180 पर कर ली गई है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

11/2/11

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रॉक: जीओ–~~39~~ 41/सम्पेक्षा/म0आ0यो0/2010–11 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2– सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0शासन।

3– प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

4– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

5– समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।

6– समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।

7– वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–3/राज्य योजना आयोग–2/नियोजन अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2।

8– नियोजन अनुभाग–4, उ0प्र0शासन।

9– ग्राम्य विकास अनुभाग–3/4, उ0प्र0शासन।

10– विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प0शासन को शासनादेश संख्या–79/26–ब0प्र0–2010–01(बजट)/2010, दिनांक 02–02–2011 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0

Shiv_1ay 2010.doc

Annexure Of Letter No. G.O.-41/Sampreksha/MAY/2010-11 Dated 11-2-2011

Release of funds under Mahamaya Awas Yojana

SL	DISTRICT	Amount being released (Lakh Rs.)	Progressive Total
1	2	3	4
1	MEERUT	4.09	4.09
2	GHAZIABAD	0.75	36.75
3	BULANDSHAHAR	76.78	161.83
4	G.B. NAGAR*	0	37.35
5	BAGPAT	2.06	4.31
6	SAHARANPUR	134.99	283.94
7	MUZAFARNAGAR	32.15	96.95
8	MORADABAD	0	227.70
9	BIJNOR	90.55	190.45
10	RAMPUR	15.39	98.19
11	J.B.F. NAGAR	13.35	28.20
12	BAREILLY	103.19	256.19
13	BADAUN	182.03	382.73
14	SHAHJAHANPUR	110.64	1043.94
15	PILIBHIT	75.41	294.11
16	AGRA	11.43	83.88
17	MAINPURI*	0	155.70
18	MATHURA	81.05	164.75
19	FIROZABAD	99.17	144.17
20	ALIGARH	63.92	134.57
21	ETAH	36.51	76.56
22	KANSHIRAM NAGAR	0	50.40
23	HATHRAS	51.98	61.88
24	JHANSI	26.75	322.60
25	JALAUN	71.28	150.82
26	LALITPUR	3.37	328.32
27	BANDA	59.37	352.80
28	HAMIRPUR	0	164.90
29	MAHOBA	74.58	157.03
30	CHITRAKUT	187.35	395.24
31	ALLAHABAD	70.26	620.16
32	FATEHPUR	385.65	971.10
33	PRATAPGARH	305.73	643.68
34	KAUSHAMBHI	71.68	358.33
35	KANPUR NAGAR	7.37	170.27
36	KANPUR DEHAT	186.58	504.28
37	ETAWAH	32.09	179.69
38	FARRUKHABAD	24.44	160.79
39	KANNAUJ	84.5	275.29
40	ORRAIYA	17.57	112.07
41	VARANASI	104.56	219.76
42	GHAZIPUR	191.16	402.66
43	JAUNPUR	467.13	983.28
44	CHANDAULI	0	1379.25

SL	DISTRICT	Amount being released (Lakh Rs.)	Progressive Total
1	2	3	4
45	MIRZAPUR	12.75	400.20
46	SONBHADRA	0	3771.45
47	S. R. NAGAR	0	301.50
48	LUCKNOW	0	960.30
49	SITAPUR	826.43	1629.03
50	UNNAO	201.13	641.23
51	HARDOI	502.58	1057.88
52	KHERI	999.59	1548.79
53	RAE BARELI	118.13	496.13
54	GORAKHPUR	158.63	333.68
55	DEORIA	1.17	102.87
56	KUSHINAGAR	43.06	164.56
57	MAHRAJGANJ	207.96	476.61
58	BASTI	126.15	265.65
59	SIDHARTHNAGAR	161.78	340.43
60	S.K.NAGAR	110.08	231.58
61	AZAMGARH	0	1018.35
62	MAU	167.99	372.29
63	BALLIA	477.65	1005.05
64	FAIZABAD	135.63	285.48
65	BARABANKI	401.25	1056.90
66	SULTANPUR	256.67	803.87
67	Chatrapati Shauji Maharaj	238.79	238.79
68	AMBEDKARNAGAR	134.2	282.70
69	GONDA	148.2	496.95
70	BAHRAICH	5.85	12.60
71	BALRAMPUR	2.52	73.62
72	SHRAWASTI	0	260.55
	STATE TOTAL	**8995.05**	**31500.00**

(Rs. Eihty Nine Crore Ninety Five Lakh Five Thousand Only)

(M.K. Agnihotri)
Additional Commissioner(Accounts)
Rural Development

संख्या- 71 /26-ब0प्र0-2011-06(बजट)/2010

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण   लखनऊ : दिनांकः ०२ फरवरी, 2011

विषयः- वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-196/सम्प्रेक्षा/महा0 आ0यो0/2010-11 दिनांक 14 सितम्बर, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित रू0 100.00 करोड़ (रू0 एक अरब मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग के लिए एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा । वित्तीय वर्ष के अंत में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।

4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये ।

5- धनराशि का उपयोग महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर किया जायेगा तथा धनराशि का आवंटन महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशो के अनुसार किया जायेगा ।

6- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तो का विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06-आवास योजना-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।

4.2.2011
(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0 प्र0

.........2/-

6

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जनपदवार फॉट तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें ताकि धनराशि का आहरण करते हुये इस योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सके ।

4- धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात दूसरी किश्त आहरित की जायेगी ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-117/दस-2011, दिनांक 31 जनवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 71 (1)/26-ब0प्र0-2011-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।
5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनु0-3/नियोजन अनु0-3/रा0यो0 आयोग-2
8- एन0आई0सी0 की प्रति/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1
9- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।